भाग-I

परिचयात्मकः- कार्यालय परियोजना निदेशक ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून के अभिलेखों की विगत लेखा-परीक्षा श्री के० पी० सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री के.एस. चौहान,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री साहिल जौली, व.ले.प. द्वारा दिनांक 06-07-2018से 16-07-2018 तक श्री आर.के.जोगी, वरि.लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी।

इकाई की लेखापरीक्षा श्री के.पी. सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री बरुण शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ए.के.भारतीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 15.12.2020 से 21.12.2020 तक संपादित की गई थी जिसमें 4/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

भाग-Iपरिचयात्मकः

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -

(ii) कुल जनसंख्या इस इकाई मेंलागू नहीं

(ii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस इकाई मेंलागू नहीं

(iii) आयोजित बैठकों की संख्या इस इकाई मेंलागू नहीं

(iv) उपसमितियाँ इस इकाई मेंलागू नहीं

(v) कर्मचारियों की संख्या- 18

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैरस्थापना	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधि.	बचत
2017-18	**0**	**1041.964**	**172.160**	**172.160**	**3436.063**	**3510.958**	**0**	**0**		**967.008**
2018-19	**0**	**967.01**	**177.28**	**177.28**	**2020.48**	**1896.41**	**0**	**0**		**1091.41**
2019-20	**0**	**1091.41**	**197.39**	**197.39**	**1276.82**	**1346.95**	**0**	**0**		**1021.28**

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	बचत
2018-19	सांसदनिधि	318.86	1032.70	1351.56	683.87	667.69
2019-20	सांसदनिधि	667.69	901.89	1569.58	724.37	845.21
2018-19	राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन	1.962	0	1.962	0	1.962
2019-20	राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन	1.962	0	1.962	0	1.962
2018-19	रुर्बनमिशनयोजना	517.12	17.93	535.05	278.25	256.80
2019-20	रुर्बनमिशनयोजना	256.80	15.98	272.78	230.28	42.49

कार्यालय परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण को बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण |

क0सं0	योजना का नाम	2017-18			
		प्रा0 शेष	आवंटन	व्यय	
1	सांसद निधि	876.537	362.510	920.187	318.860
2	एस0जी0एस0वाई0	79.790	0.000	0.000	79.790
3	एस0जी0एस0वाई0 ग्रामीण हाट	0.580	0.000	0.000	0.580
4	उ0ग्रा0स्व0रो0 मिशन	2.620	0.000	0.000	2.620
5	इन्दिरा आवास / प्रधान मत्री आवास योजना	0.000	1862.490	1854.200	8.290
6	इन्दिरा आवास/ प्रधान मत्री आवास योजना मद	33.911	0.000	17.895	16.016
7	केडिट कम सब्सिडी	5.400	0.000	5.200	0.200
8	प्रशा0 मद	0.530	0.000	0.007	0.460
9	उ0 सार्व भौम रो0 योजना	33.250	0.000	32.610	0.640
10	उ0 सीमान्त पिछडा क्षेत्र विकास यो0	1.700	0.000	0.000	1.700
11	आजीविका मिशन	0.988	396.533	395.559	1.962
13	इन्दिरा अम्मा	1.680	100.540	83.450	18.770
14	रूर्बन मिशन योजना	4.980	713.990	201.850	517.120
15	अधिष्ठान व्यय	0.00	172.16	172.16	0.00
योग		1041.97	3608.22	3683.12	967.01

कार्यालय परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण को बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण

क0सं0	योजना का नाम	2018-19			
		प्रा0 शेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
1	सांसद निधि	318.860	1032.70	683.87	667.69
2	एस0जी0एस0वाई0	79.790	0.00	0.00	79.79
3	एस0जी0एस0वाई0 ग्रामीण हाट	0.580	0.00	0.00	0.58
4	उ0ग्रा0स्व0रो0 मिशन	2.620	0.00	0.00	2.62
5	इन्दिरा आवास / प्रधान मत्री आवास योजना	8.290	641.314	639.10	10.504
6	इन्दिरा आवास/ प्रधान मत्री आवास योजना मद	16.016	66.896	19.015	63.897
7	केडिट कम सब्सिडी	0.200	0.00	0.00	0.20
8	प्रशा0 मद	0.460	28.444	28.444	0.460
9	उ0 सार्व भौम रो0 योजना	0.640	0.00	0.00	0.640
10	उ0 सीमान्त पिछडा क्षेत्र विकास यो0	1.700	0.00	0.00	1.70
11	आजीविका मिशन	1.962	0.00	0.00	1.962
13	इन्दिरा अम्मा	18.770	55.908	70.119	4.559
14	रूर्बन मिशन योजना	517.120	17.933	278.253	256.80
15	अधिष्ठान व्यय	0.00	177.28	177.28	0.00
		967.01	2020 48	1896 08	1091 41

क्र0सं0	योजना का नाम	2019-20			
		अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
1	सांसद निधि	667.69	901.89	724.37	845.21
2	एस0जी0एस0वाई0	79.79	0.00	0.00	79.79
3	एस0जी0एस0वाई0 ग्रामीण हाट	0.58	0.00	0.00	0.58
4	उ0ग्रा0स्व0रो0 मिशन	2.62	0.00	0.00	2.62
5	इन्दिरा आवास / प्रधान मत्री आवास योजना	10.504	84.881	95.385	0.00
6	इन्दिरा आवास/ प्रधान मत्री आवास योजना मद	63.897	16.06	73.371	6.586
7	क्रेडिट कम सब्सिडी	0.20	0.00	0.00	0.20
8	प्रशा0 मद	0.460	0.00	0.00	0.46
9	उ0 सार्व भौम रो0 योजना	0.640	0.00	0.00	0.64
10	उ0 सीमान्त पिछडा क्षेत्र विकास यो0	1.70	0.00	0.00	1.70
11	आजीविका मिशन	1.962	0.00	0.00	1.962
13	इन्दिरा अम्मा	4.559	60.62	26.155	39.024
14	रूर्बन मिशन योजना	256.80	15.977	230.28	42.491
15	अधिष्ठान व्यय	0.00	197.39	197.39	0.00

भाग-2 (अ)

प्रस्तर01:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 लाभार्थियो को अवमुक्त की गई से धनराशि रु, 78.61 लाख 2-3 वर्ष के बाद भी वसूलीं न किया जाना |

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारम्भ की गयी थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले सभी बेघर परिवारों; कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है| लक्ष्यों का निर्धारण करते समय 60% अनु.जाति/जनजाति 15% अल्प संख्यक, 3% विकलांग व्यक्तियों हेतु निर्धारण किया गया है| योजना में लाभार्थी को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में एक कक्ष ,रसोई का निर्माण तथा एक शोचालय बनाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए राशि रु,130000/- निर्धारित की गयी है,जो तीन किस्तों में क्रमश: रु,60000 रु,40000 ,रु30000/ FTO के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी |
इकाई की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कुछ लाभार्थियों द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में योजना की प्रथम तथा दितीय क़िस्त प्राप्त कर ली है,तथा मकान आपसी विवाद अथवा अन्य कारण से पूर्ण नहीं हो पाया है, ऐसे लाभार्थी मकान को पूरा निर्माण नहीं कर रहे और ना ही प्राप्त राशि को सरकार को वापस कर रहे है,जिनका विवरण निम्न प्रकार है;-

1-खंड विकास कार्यालय सहसपुर-देहरादून

लाभार्थियो की संख्या	प्रथम क़िस्त प्राप्त	दितीय क़िस्त प्राप्त	कुल प्राप्त राशि
17	60000	-	1020000
8	60000	40000	800000
		Total	1820000

2-खंड विकास कार्यालय चकराता-देहरादून

लाभार्थियो की संख्या	प्रथम क़िस्त प्राप्त	दितीय क़िस्त प्राप्त	कुल प्राप्त राशि
22	60000	-	1320000
14	60000	40000	1400000
		Total	2720000

3-खंड विकास कार्यालय विकास नगर-देहरादून

लाभार्थियो की संख्या	प्रथम क़िस्त प्राप्त	दितीय क़िस्त प्राप्त	कुल प्राप्त राशि
12	60000	-	720000
25	60000	40000	2500000
1		41000	41000
		योग	3261000

4-खंड विकास कार्यालय डोईवाला-देहरादून

लाभार्थियो की संख्या	प्रथम क़िस्त प्राप्त	दितीय क़िस्त प्राप्त	कुल प्राप्त राशि

1	60000	-	60000
0	0	0	0
		Total	60000

Grand total =7861000/

आगे लेखा परीक्षा में पाया गया किऐसे लाभार्थियो को भी इस योजना में शामिल किया गया था जो कि इस आवास योजना के पात्र नहीं थे,तथा कुछ लाभार्थियो के आपसी जमीनी विवाद थे;तथा कुछ ऐसे लाभार्थी भी थे,जो आवास बनाने के इच्छुक नहीं थे ऐसे लाभार्थियो ने प्रथम तथा दूसरी क़िस्त प्राप्त करने के बाद भी मकान का निर्माण नहीं किया था |

ऐसे अपात्र 100 लाभार्थियो को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राशि रु,7861000/ जारी की गयी थी, जो अभी तक वसूल नहीं की गयी है |

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभाग से पूछे जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि 100 में से 25 लाभार्थियो से राशि रु.149750/ वसूल कर ली गयी है, कुछ लाभार्थी बीमारी व् कुछ आपसी विवाद के कारण आवास निर्माण नहीं कर सके ऐसे लाभार्थियो को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए है ऐसे मामलो की शत प्रतिशत वसूली कर ली जाएगी |

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जो 25 लाभार्थियो की वसूली की सूचि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी है, उनमे से कोई एक भी नाम उन 100 वसूली किये जाने वाले लाभार्थियो की सूचि में शामिल नहीं है,जिनसे वसूली हेतु लेखा परीक्षा ज्ञाप जारी किया गया था |यदि कोई लाभार्थी बीमार था,या कोई जमीनी विवाद था,तो प्रथम क़िस्त लेने के बाद भी धनराशि वापस शासन को वापस कर देनी चाहिए थी,जबकी ऐसा नहीं किया गया तथा कुछ लाभार्थियो द्वारा दूसरी क़िस्त की धनराशि भी प्राप्त कर ली थी |

अत: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 लाभार्थियो को अवमुक्त की गई से धनराशि रु, 78.61 लाख 2-3 वर्ष के बाद भी वसूलीं न किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग–2(ब)

प्रस्तर 1: विभाग द्वारा बिना टेण्डर/कोटेशन किये कार्यदायी संस्था को धनराशि रू 50 लाख संस्वीकृतिकिया जाना तथाकार्यदायी सस्था द्वारा संदेहास्पद प्रगति रिर्पोट तथा यूसी.के आधार पर रू. 36.50 लाख व्यय करकेद्वितीय किस्त की मॉग किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियमावली–2017 के बिन्दु सं.47 के अनुसाररुपये 2.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यो को कराने के लिए निविदा/कोटेशन आमंत्रित किया जानाचाहिए।

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 में संचालित सांसद निधि योजना से संबंधित निर्माण कार्यो की लेखा अभिलेखों की जॉच मे पाया गया कि आठ निर्माण कार्यो हेतु दिनॉक 07.02.19 को कार्यदायी संस्था इडियन प्रोजेक्ट **कनस्ट्रक्शन** को.आ.लि. हरिद्धार को बिना टेण्डर/कोटेशन किये उक्त निर्माण कार्य हेतु ऑगणन प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया था जिसके अनुसार इडियन प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन को.आ.लि. हरिद्धार ने कुल 8 निर्मण कार्य हेतु रु.50 लाखऑगणन विभाग को प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति लागत लाख रू	प्रथम किस्त लाख रू
1	विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बागी में श्याम सिंह के आवास से मदन सिंह आदि के आवास की ओर जाने वाली सडक पर सी.सी सडक व दीवार का निर्माण कार्य	5	3.75
2	विकासखण्ड डोईवाला अन्तर्गत ग्राम पंचायत बागी में भोगपुर बागी मार्ग से महादेव मंदिर के पास पुश्ता निर्माण व समतलकरण का कार्य	5	3.75
3	विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत मोथरोवाला में धन सिंह बिष्ट के आवास से विजय सिंह पटवाल के आवास तक सी.सी सडक निर्माण कार्य (अनु. जा.)	5	3.75
4	विकासखण्ड रायपुर ग्राम सभा भोपाल पानी के अन्तर्गत वार्ड सं. 01 में पंचायत घर से रामेंश मनवाल के आवास तक सी.सी सडक निर्माण कार्य (अनु. जा.)	7	5.25
5	विकासखण्ड चकराता ग्राम पंचायत चिल्लाड में बरफिया नन्द के आवास के पास सुरक्षा दीवार एवं नाली का निर्माण कार्य (अनु. जा.)	5	3.75
6	विकासखण्ड चकराता ग्राम डेरिया के अन्तर्गत केशर सिंह पुत्र काडिया के आवास के पास सुरक्षा दीवार टैंक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य (अनु. जा.)	5	3.75
7	विकासखण्ड चकराता ग्राम सहिया तपलाड में बुशियागु के खेत व क्यारियों के पास सुरक्षा दीवार नाली निम्रण एवं सिंचाई हौज का निर्माण कार्य(अनु. जा.)	6	4.5
8	विकासखण्ड चकराता ग्राम सहिया तपलाड में श्याम दत्त जोशी के आवास के पास सुरक्षा दीवार टैंक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य(अनु. जा	12	9
	योग	50	37.50

इस प्रकार 50 लाख ऑगणन के आधार पर विभाग ने अपने पत्र दिनॉक 12.02.2019 के द्धारा उक्त संस्था को उक्त निर्माण कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया था। चैक सं. 700526 तथा चैक सं. 700523 क्रमशःदिनॉक 28.2.19 व दिनॉक 01.02.19 के द्धारा

ऑगणन के सापेक्षकार्यदायी संस्थामाहप्रबन्धक इडियन प्रोजेक्ट **कनस्ट्रक्शन**को.आ.लि. हरिद्धार को प्रथम किस्त कुल रू 36.50 लाख अवमुक्त किया गयाथा। विभाग ने अपने कार्यदेश सं.1905 दिनॉक 25.2.2019 के द्धारा उक्त निर्माण कार्य के लिए कार्यादेश जारी किया था। जिसमें उल्लेखित किया गया था कि उक्त निर्माण कार्य 25.02.19 से प्रारभ होकर 25.05.2019 को पूर्ण हो जाना चाहिए। किन्तु कार्य 23 से 24 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था।

आगे जॉच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था ने प्रगति रिर्पोट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में कुल व्यय रू 36.50 लाख विभाग को किया प्रेषित था जिसके आधार पर विभाग से द्वितीय किस्त जारी करने का अनुरोध किया था। किन्तु विभाग द्धारा उक्त आठ निर्माण कार्यो का जॉच किया गया तो पाया गया कि निर्माण कार्य अभी प्रारंभ ही नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्था ने उक्त प्रगति रिर्पोट. और यू.सी. की धनराशि रू. 36.50 लाख गलत प्रारूप में भरकर विभाग को प्रेषित किया हैं

कुछ निर्माणकार्यो के संबंध में स्थानीय जनता ने अपने हस्ताक्षर कर कार्य प्रारंभ नही होने के ज्ञापन विभाग को सौंपा है। इस प्रकार विभाग ने कार्यदायी संस्था के उक्त एम.बी. और यू.सी. की धनराशि रू.36.50 लाख गलत प्रारूप में भरकर विभाग को प्रस्तुत करना **संदिग्ध**मानतें हुए उक्त धनराशि की इकाई से वसूली हेतु जिला अधिकारी को पत्र लिखा।

लेखा परीक्षा द्धारा इंगित किये जाने पर विभाग द्धारा ऑकडो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा/कोटेशन कार्यदायी संस्था स्तर पर आमंत्रित किए जाते हैं उक्त कार्यों हेतु संस्था को कार्य कराए जाने हेतु लिखा गया है इसके अतिरिक्त धनराशि की वसूली हेतु भी जिला अधिकारी प्रतापगढ को पत्र लिखा गया हैं जिसकी छॉयाप्रति संलगन हैं। और आगे बताया कि स्थानीय जनता द्धारा उपरोक्त तालिका में अकित क्रम सं. 03 व 04 पर अंकित कार्योपर शिकायते प्राप्त हुई हैं। कार्यदायी संस्था द्धारा प्रस्तुत व्यय वाउचर्स आदि का परीक्षण किया जा रहा हैं विभाग का दिया गया उत्तर अमान्य हैं क्योंकि उपरोक्त तालिका में अकित क्रम सं. 03 व 04 पर अंकित कार्योपर शिकायते प्राप्त हुई है वह दिनॉक 03.07.2020 की हैं जिसमें बताया गया है कि उक्त निर्माण उक्त तिथि तक प्रारंभ ही नहीं हुआ हैं जबकि कार्यदायी संस्था ने दिनॉक 30 02. 2019 को ही उपभोग प्रमाण पत्र एवं प्रगति रिर्पोट में रू. 5.00 लाख उक्त दोंनो निर्माण कार्यों पर व्यय दिखाया हैं। कार्यदायी संस्था ने उक्त निर्माण कार्यो पर कुल स्वीकृति रू 50 लाख के सापेक्ष रू. 36.50लाख व्यय एम.बी एव बिल बाउचर के आधार पर द्वितीय किस्त की मॉग की है। **जबकि** विभाग ने स्वयं कार्यो का भौतिक सत्यापन के आधार पर उक्त उपभोग प्रमाण पत्र एम.बी को सही नही माना है

अतः विभाग द्धारा विना टेण्डर/कोटेशन किये कार्यदायी संस्था को धनराशि रू 50 लाख **संस्वीकृति** किया जाना तथाकार्यदायी संस्था द्धारा संदेहास्पद एम.बी. तथा यूसी.के आधार पर रू. 36.50 लाख व्यय करके द्धितीय किस्त की मॉग किया जाने का प्रकारण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:-2 इकाई द्वारा किराए पर आवंटित दुकानों का किराया न बढ़ाने से विभाग को रु. 24.79 लाख की हानि होना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून को आवंटित दुकान से संबन्धित अभिलेख यथा फ़ाइल पत्रावली जाँच में पाया की कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड, देहरादून को अनुबन्ध के तहत दुकान संख्या 03 एवं बड़ा हॉल दिनांक 01.05.2009 से 30.04.2010 तक 11 माह के लिए रु 16,000 के किराए पर दिया गया था | अनुबन्ध में स्पष्ट उल्लेख है की 11 माह व्यतीत होने के उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि तक अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देना होगा | आगे जांच में पाया गया के पूर्व में हुए अनुबंध के तहत दिनांक 01.05.2010 से 31.03.2011 में दुकान एवं बड़ा हाल का किराया 10% बढ़ा कर रु- 17,600 लिया गया। इसके साथ 2 और दुकानें रु 12,000 के किराये पर दी गयी। अनुबन्ध में स्पष्ट उल्लेख है की 11 माह व्यतीत होने के उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि तक अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देना होगा। आगे जांच में पाया गया की 3 दुकानें एवं बड़ा हॉल उत्तराखंड खाड़ी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून को दिनांक 1.04.2011 से 28.02.2012 तक किराया रु- 29600 से 10% बढ़ा कर कुल रु- 32500 पर दिया गया। तथा इस अनुबंध में भी स्पष्ट उल्लेख है की 11 माह व्यतीत होने के उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि तक अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देना होगा। आगे जाँच में पाया गया की कार्यालय द्वारा वर्ष 1.04.2011 से 28.02.2012 के बाद कोई भी अनुबन्ध नहीं किया गया तथा दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि बढ़ाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई | आगे जाँच में यह भी पाया गया की इकाई द्वारा किराया 01.3.2012 से वर्तमान तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है जिससे इकाई को होने वाले राजस्व की हानी का सामना करना पड़ा।

साथ ही प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा एसबीआई को वर्ष 2014 में किराए पर दुकान का आवंटन हेतु अनुबन्ध किया जिसके अनुसार रु. 21875/- की मासिक दर पर 5 वर्ष के लिए अनुबन्ध किया गया तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में एसबीआई द्वारा 25 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देय होगा। जो 01/01/2019 से देय होगा। परन्तु जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक किराया 25 प्रतिशत बढ़ाकर न लेते हुए रु. 21875/- की दर से ही लिया जा रहा है। जिस कारण विभाग को राजस्व हानी का सामना करना पड़ रहा है।

साथ ही आगे प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद को दिनांक 01/04/2011 से 31/03/2012 तक के लिए रु. 3330/- की मासिक दर से किराए पर दुकान हेतु अनुबन्ध किया गया तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रति वर्ष 10 प्रतिशत

की दर से किराया बढा कर देने हेतु अनुबन्ध किया गया। आगे जांच में प्रकाश में आया कि पत्रांक 2255 दिनांक 22/02/2013 से ज्ञात हुआ कि 02/2012 से 01/2013 के लिए किराया रु. 3630/- प्रति माह निर्धारित किया गया। उक्त किराया 01/2013 तक के लिए था परन्तु इकाई द्वारा किराया फरवरी 2013 में न बढ़ाकर 3 वर्ष बाद फरवरी 2016 में बढ़ाया गया और रु. 4000/- प्रति माह किया गया साथ ही लेखापरीक्षा तिथि तक किराया बढ़ाकर नहीं लिया गया है। जिस कारण विभाग को राजस्व हानी का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त प्रकरणों की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं बताया की कार्यवाही की जा रही है एवं भविष्य में पालन किया जायेगा | अनुबंध की शर्तों का पालन कर लिया जायेगा। प्राप्त किराए की धनराशि बैंक ऑफ बड़ोदा सहस्त्रधारा रोड शाखा संख्या 48420100000616 में जमा किया जा रहा है। किराए की धनराशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। माह दिसंबर तक उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिसद से माह जुलाई 20 से माह दिसंबर 20 तक का 6 माह का किराया रु 26,400/- तथा उत्तराखंड खाड़ी ग्राम्योद्योग बोर्ड से माह अप्रैल 20 से माह दिसंबर 20 तक 9 माहों का किराया रु 292,500/- लिया जाना शेष है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकिकार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड, देहरादून को अनुबन्ध के तहत दुकानें एवं एक बड़ा हॉल दिनांक 01.05.2009 को किराए पर दिया गया था | जिनका अंतिम बार 2011-12 मे रु 32500/- के कराये क लिए अनुबंध बनाया गया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख है की 11 माह व्यतीत होने के उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि तक अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढाना था परंतु दिनांक 28.02.2012 से वर्तमान तक कोई भी अनुबन्ध नहीं किया गया तथा दोनों पक्षों की सहमति से 03 वर्ष की अवधि बढ़ाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई एवं साथ ही 10 प्रतिशत की दर से किराया भी नहीं बढ़ाया गया। आगे जांच में यह भी पाया गया की विभाग द्वारा एस0बी0आई0 को वर्ष 2014 में किराए पर दुकान का आवंटन रु. 21875/- की मासिक दर पर 5 वर्ष के लिए अनुबन्ध किया गया तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में एस0बी0आई0 द्वारा 25 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देय होना था परंतु वर्तमान तक **किराया 25 प्रतिशत बढ़ाकर न लेते हुए रु. 21875/- की दर से ही लिया जा रहा है।**साथ ही आगे प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद को दिनांक 01/04/2011 को किराए पर दुकान हेतु अनुबन्ध किया गया तथा अनुबन्ध बढ़ाने की दशा में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढा कर देना था परन्तु इकाई द्वारा किराया फरवरी 2013 में न बढ़ाकर 3 वर्ष बाद फरवरी 2016 में बढ़ाया गया एवं वर्ष 2016-17 के बाद लेखापरीक्षा तिथि तक किराया बढ़ाकर नहीं लिया गया है। जिस कारण विभाग को रु 24.79 लाख राजस्व हानी का सामना करना पड़ा।

अत: इकाई द्वारा किराए पर आवंटित दुकानों का किराया न बढ़ाने से विभाग को रु. 24.79 लाख राजस्व हानि किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:-3 मुख्यमंत्री महिला एसoएचoजीo सीड कौपिटलरु- 8.55 लाख की धनराशि कई वर्षों से उपयोग न कर अवरुद्ध रखा जाना।

BUDGET MANUAL UTTARAKHAND(First Edition) Finance Department Government of Uttarakhand 2012186. Timely utilization of Central Government assistance/ grants: Since the process of funding is that of reimbursement through the channel of ACA, sufficient budget provision is to be made. **The implementation of the project should be started as per the time schedule.**

92. Responsibilities of Controlling Officers(v) to surrender appropriations or portions thereof which are not likely to be required during the year as soonas lapses or savings are foreseen;

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण देहरादून से संबंधी अभिलेखों कि जांच में पाया गया की मुख्यमंत्री महिला एसoएचoजीo (सीड कैपिटल) योजना के अंतर्गतप्राप्त धनराशि वर्ष 2011-12 से इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी हुईहै तथा शासन को वापस नहीं की गई जोकि वर्तमान में ब्याज सहित धनराशि रु 8.55 लाख है।जोकि दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

उपरोक्त प्रकरण की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की के बजट समर्पण के संबंध में शासन से लेखा शीर्षक प्राप्त कर इसी वित्तीय वर्ष मे धनराशि समर्पित कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकियोजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि वर्ष 2011-12 से इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी हुई है तथा शासन को वापस नहीं की गई जोकि वर्तमान में ब्याज सहित धनराशि रु 8.55 लाख है। यदि कार्यालय द्वारा समय से धनराशि शासन को समर्पित की होती तो धनराशि का किसी और योजना में प्रयोग किया जा सकता था |

अतःधनराशि रु 8.55 लाखकई वर्षों से इकाई के खाते में अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:-4 विभाग के अंतर्गत संचालित इन्दिरा अम्मा भोजनालय पर विभाग का नियंत्रण न होने एवं शासनादेशो का उल्लंघन होने के कारण समाज के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग पर अधिक व्ययभार प्रत्यारोपित होना एवं योजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति न होना तथा विभाग पर रु. 59360/- की सब्सिडी की देयता भारित होना।

उत्तराखंड शासनादेश सं.1135/XI/15/56(38)2015 दिनांक 25 अगस्त 2015 के अनुसार इन्दिरा अम्मा योजना का उद्देश्य समाज के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाना है तथा योजनान्तर्गत प्रति थाली रु. 20/- उपभोक्ता से लिया जाएगा तथा रु. 10/- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड शासनादेश सं.1076/XI/2017/56(27) 2015 दिनांक 14 जुलाई 2017 के अनुसार इन्दिरा अम्मा योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन के माध्यम से निरंतर आय सृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सुदृढीकरण करना है। साथ ही उक्त शासनादेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्रों में संचालित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/ सहायतित कैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष होगा। साथ ही उक्त शासनादेश के अनुसार किसी भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन को खोलने हेतु संबन्धित जनपद द्वारा स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु न्यूनतम 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा।

इन्दिरा अम्मा योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि राजकीय पौलिटेक्निक पित्थुवाला में चंदरबदनी SHG द्वारा इन्दिरा अम्मा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है एवं विकास भवन परिसर में धरा,SHG द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। उक्त दोनों सहायता समूह को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उक्त समूह की चयन से संबन्धित पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि राजकीय पौलिटेक्निक पित्थुवाला में कैंटीन खोलने हेतु दिनांक 16/02/2020 को मात्र हिंदुस्तान समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार न्यूनतम 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए था। जिससे कि और अधिक स्वयं सहायता समूह को कैंटीन खोलने हेतु आवेदन करने का मौका मिलता। साथ ही विकास भवन परिसर, देहरादून में आवंटित कैंटीन से संबन्धित पत्रावली की जांच में पत्रांक 209/इन्दिरा अम्मा भोज./विज्ञप्ति/2019-20 दिनांक 11/06/2019 से प्रकाश में आया कि उक्त कैंटीन हेतु दिनांक 27/05/2019 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी परन्तु पत्रावली की जांच में इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त कैंटीन हेतु कितने एवं किस समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की गयी थी। साथ ही उक्त कैंटीन से संबन्धित पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया उक्त कैंटीन का संचालन दिनांक 02/12/2019 से किया जा रहा है जिसका कार्यकाल 30/11/2020 तक (1वर्ष) था। आगे जांच में प्रकाश में आया कि वर्तमान में भी धरा,SHG द्वारा उक्त कैंटीन का संचालन किया जा रहा है,एवं

कार्यकाल समाप्त होने के बाबजूद भी उक्त कैंटीन के आवंटन हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। साथ ही जांच में पाया गया कि उक्त सहायता समूह को फरवरी 2020 तक ही सब्सिडी का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रकाश में आया कि धरा SHG द्वारा फरवरी 2020 तक ही रोकड़ बही एवं दैनिक रजिस्टर का रख रखाव किया गया है एवं स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है साथ ही भौतिक सत्यापन में पाया गया कि वर्तमान में धरा समूह द्वारा प्रति थाली रु. 30/- प्रति ग्राहक भारित किया जा रहा है। साथ ही समूह के रोकड़ वही कि जांच में प्रकाश में आया कि दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक समूह द्वारा कुल 33941 (12230+13000+8711) थाली परोसी गयी। इस प्रकार रु.10 प्रति थाली के हिसाब से रु. 339410/- का भुगतान विभाग द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाना चाहिए था जबकि विभाग द्वारा रु. 322410/- का भुगतान किया गया अर्थात रु. 17000/- कम भुगतान किया गया।

इस प्रकार 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के पश्चात भी कैंटीन के आबंटन हेतु विज्ञप्ति जारी न किया जाना एवं न्यूनतम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन न दिया जाना तथा प्रति ग्राहक रु.20 के स्थान पर रु.30 भारित किया जाना उपरोक्त वर्णित शासनादेश का उल्लंघन है।

उक्त प्रकरण के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि राजकीय पौलिटेक्निक पित्थुवाला कैंटीन हेतु दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान में विज्ञापन दिया गया था। विकास भवन परिसर में संचालित कैंटीन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त कैंटीन हेतु भी दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी गयी थी। आगे विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बजट उपलब्ध न होने के कारण सब्सिडी प्रदान नहीं की जा सकी जिस कारण धरा SHG को दिनांक 22/03/2020 तक की रु. 59360/- की सब्सिडी का भुगतान किया जाना लम्बित है। साथ ही अवगत कराया गया कि कोविड-19 के कारण कैंटीन खोलने कि अनुमति प्रदान नहीं की गयी है एवं प्रति थाली की कीमत SHG द्वारा स्वयं निर्धारित की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा राजकीय पौलिटेक्निक पित्थुवाला एवं विकास भवन की कैंटीन के विज्ञप्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में मात्र एक एक विज्ञप्ति की प्रति ही उपलब्ध कराई गयी है। एवं दो विज्ञप्ति के भुगतान का जो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है उसमे एक विकास भवन एवं दूसरा सिडकुल-सेलाकुई की विज्ञप्ति का भुगतान किया गया है। सब्सिडी की देयता की सम्बन्ध में इकाई का उत्तर तथ्यहीन है क्योकि विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि रु. 60.62 लाख के सापेक्ष मात्र रु. 26.155 ही व्यय किए है एवं रु. 39.024 लाख अवशेष रहे है। साथ ही बिना अनुमति के कैंटीन का संचालन एवं समूह द्वारा थाली की कीमत स्वयं निर्धारित किया जाना दर्शाता है कि विभाग का समूह पर कोई नियंत्रण नहीं है जबकि समूह को मूलभूत शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

अत: विभाग के अंतर्गत संचालित इन्दिरा अम्मा भोजनालय पर विभाग का नियंत्रण न होने एवं शासनादेशो का उल्लंघन होने के कारण समाज के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग पर अधिक व्ययभार प्रत्यारोपित होना एवं योजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति न होना तथा विभाग पर बजट उपलब्धता के बाबजूद भी रु. 59360/- की सब्सिडी की देयता भारित होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः-1एन०आर०एल०एम योजना के अंतर्गत रु.16 करोड़का अनुश्रवणन किया जाना |

पत्रांक सं 504/680/ एस.पी.एम.यू./आर.डी./2017 बिन्दु सं०19.5 में स्पष्ट उल्लेख किया है की सक्रिय महिला कम से कम पाँचवी पास होनी चाहिये| ऐसी सक्रिय महिला जो की अच्छी सामाजिक गतिशील करने वाली हो तथा उसे एन०आर०एल०एम के बारे में अच्छी जानकारी है उसे हेतु शैक्षिक मानदंड में शिथिलता प्रदान की जा सकती है | बिन्दु सं 4 में स्पष्ट उल्लेख है की पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम ०५ तथा मैदानी क्षेत्र में का से कम 10 सदस्य एक स्वयं सहायता समूह में होने अनिवार्य हैं। स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य का 3 दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से गठन के तत्काल पश्चात किया जाना चाहिये। यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा प्रत्येक समूह को अभिलेख उपलब्ध कराये जाएंगे ।

पंचस्तोत्र का नियमित पालन करने वाले स्वयं सहायता समूह को 12 बैठक के उपरांत यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा परिक्रामी निधि (रिवौलविंग फंड) उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनके 4-10 संख्या तथा सदस्य हों उन्हे रु 10,000 प्रति समूह रिवौलविंग फंड दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 से तदानुसार तथा निर्धारित सीमा के तहत प्रत्येक समूह को आर० एफ़० अवमुक्त किया जाएगा। 24-26 नियमित बैठक होने के उपरांत प्रत्येक समूह , एन०आर०एल०एम० के तहत सामुदायिक नीवेश निधि (सीआईएफ़) प्राप्त करने के हकदार होंगे। प्रत्येक पात्र स्वयं सहायक समूह को अपने माइक्रो क्रेडिट प्लान (एमसीपी) के आधार पर मिशन द्वारा अधिकतम रूप से 110000/- प्रति समूह सीआईएफ़ दिया जाएगा जबकि एसीपी की अवशेष धनराशि बैंक ऋण तथा अन्य राज्या पोषित योजनाओं के साथ अभिसरण से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त DRDA के संगढनात्मक ढ़ाचे के अनुसार प्रत्येक DRDA में एक **अनुश्रवणएवं Evaluation Wing**होगा जो निम्नानुसार कार्य संपादित करेगा

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण देहरादून से संबंधी अभिलेखों कि जांच में पाया गया किकार्यालय द्वारा योजना प्रारम्भ से अनुश्रवण भी नहीं की जा रही है। साथ ही शासनादेश मे स्पष्ट लिखा है की एस0एच0जी0 समूह बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र मे कम से कम 5 सदस्य एवं मैदानी क्षेत्र मे कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य हैं परंतु जांच मे पाया गया की इकाई के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र की कोई भी सूची उपलब्ध नहीं है। जिससे यह ज्ञात नहीं होता की कार्यालय द्वारा आवंटित की गयी धनराशि का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। जो कि दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अनुश्रवण का जनपद स्तर कार्यालय मे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ब्लॉक (खंड) की पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र की सूची उपलब्ध नहीं है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है एवं मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों की सूची इकाई के पास उपलब्ध नहीं है । अर्थात् धनराशि आवंटित करने से पहले उन क्षेत्रों मे समूह बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए इस बात का ध्यान नहीं किया जा रहा। जिससे यह ज्ञात नहीं होता की कार्यालय द्वारा आवंटित की गयी धनराशि का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं जो की दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है

अतः कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से रु.16 करोड़ का अनुश्रवण न किया जाना एवं शासनादेश का पालन न किया जाना का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत सीजीएफ़ की धनराशि डीपीआर के अनुसार अवमुक्त न किये जाने के कारण निर्धारित तिथि से 8 माह बाद एवं 13.34 करोड़ रु. अवमुक्त होने पर भी योजना मात्र 44 प्रतिशत पूर्ण होना।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। उक्त योजना के अंतर्गत अनुमानित निवेश आवश्यकताओ और अभिसरण के माध्यम से संसाधनो के निर्धारण करने के आधार पर, शेष राशि मिशन के तहत आवश्यक पूरक वित्तपोषण राशि (CGF) होगी। जोकि परियोजना व्यय का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ जो भी कम हो, निर्धारित की जाएगी।

उक्त योजना के लेखा अभिलेख की जांच में प्रकाश में आया कि उक्त योजना के अंतर्गत विकास खण्ड डोईवाला के अठूरवाला क्लस्टर का चयन किया गया था। जिसका नाम वर्ष 2019-20 में बदलकर रानीपोखरी क्लस्टर कर दिया गया। जिसकी पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2020 थी। उक्त योजना के अंतर्गत कन्वेर्जेन्स में रु. 73.713 करोड़ एवं सीजीएफ़ में रु. 30.00 करोड़ का कुल 103.713 करोड़ का प्रविधान किया गया था। उक्त योजना की मासिक प्रगति आख्या से प्रकाश में आया कि नवम्बर 2020 के अन्त तक (निर्धारित तिथि से 8 माह के बाद भी) रु. 103.713 करोड़ के सापेक्ष मात्र रु. 58.751 करोड़ व्यय करते हुए मात्र 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए है। अर्थात 56 प्रतिशत कार्य शेष है जबकि योजना 8 माह पहले ही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। आगे जांच में प्रकाश में आया कि प्रथम दो वर्षो में सीजीएफ़ में रु. 18.00 करोड़ अवमुक्त किए जाने थे परंतु रु. 13.50 करोड़ ही अवमुक्त किए गए। उक्त सीजीएफ़ की धनराशि भी DPR के अनुसार अवमुक्त नहीं की गयी है। किसी विभाग को DPR से अधिक तो किसी विभाग को DPR से कम धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिस कारण योजना के अंतर्गत कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है।

आगे जांच में प्रकाश में आया कि DPR के अनुसार Irrigation Component के अंतर्गत CGF में प्रथम दो वर्षों में रु. 0.240 करोड़ एवं तीनों वर्षो में कुल रु. 0.401 करोड़ निर्गत किए जाने थे परन्तु रु. 13.5 करोड़ में से रु. 0.300 करोड़ निर्गत किए गए थे जिनमे से लेखा परीक्षा तिथि तक रु. 0.450 करोड़ व्यय किए जा चुके थे। अर्थात कुल निर्गत होने वाले सीजीएफ़ से रु. 0.049 करोड़ अधिक व्यय किए जा चुके थे। इसी प्रकार अन्य मद में भी धनराशि DPR से भिन्न अवमुक्त की गयी है। अत: DPR से इतर धनराशि अवमुक्त किए जाने से योजना के संचालन में कठिनाई आना स्वाभाविक है।

डीपीआर के अनुसार स्वीकृत एवं अवमुक्त सीजीएफ़ की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(धनराशि करोड़ में)

Sl. No.	**Component**	**18 करोड़ के सापेक्ष होने वाली अवमुक्त धनराशि**	**13.5 करोड़ के सापेक्ष होने वाली अवमुक्त धनराशि (18/4x3)**	**13.5 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि**	**आधिक्य(+)/ कमी(-)**
1	24x7 water supply	5.728	4.296	3.120	-1.176
2	Solid and liquid waste…	1.200	0.900	0.900	00
3	Village street and drains	4.338	3.254	4.113	+0.859
4	Village street light	0.328	0.246	0.100	-0.146
5	Inter village road connectivity	2.912	2.184	3.317	+1.133
6	Skill development training…	0.074	0.056	0.066	+0.010
7	Agro Services and Processing	2.708	2.031	0.900	-1.131
8	Upgradation of Schools	0.450	0.338	0.489	+0.151
9	Irrigation	0.240	0.180	0.300	+0.120
10	Digital literacy	0.022	0.017	0.035	+0.018
	Total	**18.00**	**13.502**	**13.34**	

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि योजना की अवधि मार्च 2020 थी। इकाई ने अवगत कराया कि योजना को ससमय पूर्ण कराने हेतु कार्यदई संस्था से पत्राचार किया गया है। Irrigation मद के अंतर्गत व्याधिक्य के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया कि बाड़ सुरक्षा हेतु रु. 0.401 करोड़ एवं सी.सी. रोड निर्माण हेतु रु. 0.600 करोड़ कुल रु. 1.001 करोड़ के सापेक्ष 0.450 करोड़ व्यय दर्शाया गया है। डीपीआर के इतर धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कार्यों की प्रगति के अनुसार योजना में गति प्रदान किए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यदायी संस्था से पत्राचार से संबन्धित कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया और न ही कोई पत्रावली लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी। Irrigation मद के सम्बन्ध में इकाई का उत्तर तथ्यहीन है

क्योकि सी.सी. रोड निर्माण हेतु 0.6 करोड़ सीजीएफ़ की राशि Irrigation विभाग को न होकर PWD विभाग को देय है एवं मासिक प्रगति आख्या में Inter Village Road Connectivity के अंतर्गत प्रगति आख्या अलग से दर्शाई गयी है। कार्यों की प्रगति के अनुसार योजना में गति प्रदान किए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त तालिका के अनुसार Water Supply मद के अंतर्गत पेयजल जल निगम द्वारा मात्र 35% एवं जल संस्थान द्वारा 0% कार्य किया गया है एवं Agro Services and Processing मद के अंतर्गत भी पीडबल्यूडी ऋषिकेश एवं ब्लॉक ऑफिस द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, जबकि उक्त दोनों मदों में विभाग द्वारा बहुत कम सीजीएफ़ की राशि अवमुक्त की गयी है। लेखापरीक्षा तिथि तक (नवम्बर 2020 की प्रगति आख्या के अनुसार) उक्त योजना मात्र 44% ही पूर्ण की जा चुकी है। तथा योजना को ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु इकाई स्तर से कोई पत्राचार नहीं किया जा रहा है।

अत: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत सीजीएफ़ की धनराशि डीपीआर के अनुसार अवमुक्त न किये के कारण निर्धारित तिथि से 8 माह बाद एवं 13.34 करोड़ रु. अवमुक्त होने पर भी योजना मात्र 44 प्रतिशत पूर्ण होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: -

क्र.सं.	AIR संख्या	2(अ)	2(ब)
01	18/2017-18	शून्य	09
02	152/2015-16	शून्य	1,2,3,4,5,6

(ख)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
18/2017-18		प्रस्तुत	साक्ष्य के अभाव मे	-
152/2015-16			प्रस्तर को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती हैं।	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय परियोजना निदेशक ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) }
(ii) शून्य

2. सतत अनियमितताएँ: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			से	तक
01.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	परि.निदेशक ग्राम्य वि.विभाग	22.01.2016	28.06.2018
02.	श्री विक्रम सिंह	परि.निदेशक ग्राम्य वि.विभाग	29.06.2018	अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका इसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए.एम्.जी.I,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I